

बिहार सरकार  
योजना एवं विकास विभाग  
(अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय)

पत्रांक-स्था०2/02-08/2017 12 पटना, दिनांक-12.07.17

प्रेषक,

पूनम (भा०प्र०से०),  
निदेशक।

सेवा में,

जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, बक्सर, कैमूर (भभुआ), जमुई,  
जहानाबाद, एवं गोपालगंज।

विषय:- वित्तीय वर्ष 2017-18 में केन्द्रीय योजनागत योजना क्षेत्रफल एवं उत्पादन के द्रुत सर्वेक्षण शीर्ष अन्तर्गत मुख्यालय एवं इसके अधीनस्थ क्षेत्रीय कार्यालयों के स्थापना/गैर स्थापना व्यय से वहन हेतु राशि भुगतान के लिए 27,12,000/- (सताइस लाख बारह हजार सौ) रुपये आवंटन के संबंध में।

महाशय,


उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्त विभाग ने अपने पत्रांक-428/वि० दिनांक-31.03.17 के द्वारा सूचित किया है कि बिहार विधान मंडल से पारित वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए बिहार विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 2017 पर महामहिम राज्यपाल द्वारा 31.03.2017 को स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है।


2. उक्त पत्र के कंडिका 3 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए प्रावधानित राशि की सीमा तक व्यय किया जा सकता है।
3. भारत सरकार के कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय के अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय ए०एस०आई० डीविजन के पत्र संख्या-2-3/2017/ASI-ES दिनांक 18.05.2017 द्वारा केन्द्रीय योजनागत योजना क्षेत्रफल एवं उत्पादन के द्रुत सर्वेक्षण योजना के वित्तीय वर्ष 2017-18 में 50.00 (पचास) रुपये के व्यय पर स्वीकृति प्रदान करते हुए अपने पत्रांक-जी० 30011/8/2016-EA दिनांक 22.06.2017 द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 में व्यय के पश्चात् अवशेष राशि 27.17 लाख रुपये वित्तीय वर्ष 2017-18 में व्यय करने की स्वीकृति प्रदान की गई है।
4. तदनुसार उक्त के आलोक में वित्तीय वर्ष 2017-18 में उपलब्ध राशि में से संलग्न विवरणी के अनुसार राशि आवंटित की जाती है।
5. संलग्न विवरणी मुख्य शीर्ष-3454 जनगणना, सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, 02-सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, समूह शीर्ष केन्द्रीय योजनागत योजना, 204-केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन, उप शीर्ष-0408 -क्षेत्रफल एवं उत्पादन का द्रुत सर्वेक्षण योजना शीर्ष के अन्तर्गत आवंटित की जा रही है, जिसका मांग सं०-35 एवं विपत्र कोड-35-3454022040408 है।
6. संलग्न विवरणी के क्रमांक-1 से 5 तक के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी बक्सर, कैमूर (भभुआ), जमुई, जहानाबाद एवं गोपालगंज होंगे जो संबंधित कोषागार से राशि की निकासी करेंगे।





7. राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा संबंधित आवंटन आदेश की संख्या तथा तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर विपत्र पर निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र विपत्र पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है।
8. प्रत्येक परिस्थिति में मद्दवार व्यय आवंटित राशि के अधीन रखी जाय। इसकी पूर्ण जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।
9. व्यय का मासिक प्रतिवेदन प्रत्येक माह के 05 तारीख तक अनिवार्य रूप से निदेशालय स्थित बजट शाखा को उपलब्ध कराया जाय, अन्यथा अगला आवंटन, व्यय प्रतिवेदन के अप्राप्त रहने की स्थिति में रोक दिया जायेगा और इसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।
10. आवंटित राशि का व्यय वित्त विभाग के पत्र संख्या-2561 दिनांक 17.04. एवं समय-समय पर वित्त विभाग द्वारा निर्गत अन्य आदेशों के आलोक में किया जायेगा।

विश्वासभाजन

  
बजट सहायक

  
प्रशाखा पदा. सहा. निदेशक

  
निदेशक


  
निदेशक

अर्थ एवं सां. निदेशालय

ज्ञापांक- 12

दिनांक- 12.07.17

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, (लेखा एवं हक), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


  
14/7/17

निदेशक

ज्ञापांक- 12

दिनांक- 12.07.17

प्रतिलिपि:- कोषागार पदाधिकारी बक्सर, कैमूर(भभुआ), जहानाबाद, जमुई एवं गोपालगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
14/7/17


निदेशक

ज्ञापांक- 12

दिनांक- 12.07.17

प्रतिलिपि:- योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग(बजट शाखा)

2. उप निदेशक (योजना), उप निदेशक (कृषि) एवं उप निदेशक (प्रकाशन) अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना
3. कार्यालय लेखापाल(दो प्रतियों में)/संबंधित कार्यालय रिचारी, निर्गत शाखा को गार्ड फाईल में चिपकाने हेतु एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
4. श्री सुदामा कुमार, आई०टी०मैनेजर, योजना एवं विकास विभाग, (अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय) बिहार, पटना को निदेश दिया जाता है कि इस आवंटन को निदेशालय के साइट पर अपलोड करें।

  
14/7/17

निदेशक

आवंटन विवरणी

मुख्य शीर्ष-3454 जनगणना, सर्वक्षण तथा सांख्यिकी, 02-सर्वक्षण तथा सांख्यिकी, समूह शीर्ष केन्द्रीय योजनागत योजना, 204-केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन, उप शीर्ष-0408-क्षेत्रफल एवं उत्पादन का द्रुत सर्वक्षण शीर्ष के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में राशि आवंटित की जा रही है, जिसका मांग सं०-35 एवं विपत्र कोड-35-3454022040408 है।

क्रमांक	कार्यालय का नाम जिन्हें आवंटित किया जा रहा है।	01-01 वेतन	01-03 जीवन यापन भत्ता	01-04 मकान किराया भत्ता	01-05 परिवहन भत्ता	01-06 चिकित्सा भत्ता	01-07 अन्य भत्ता	योग-वेतन एवं भत्ते	11-01 यात्रा व्यय	कुल योग
1	जिला सांख्यिकी कार्यालय	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	बकसर	210000	294000	21000	-	2400	-	527400	-	527400
2	कैमूर (भभुआ)	210000	294000	21000	-	2400	-	527400	-	527400
3	जहानाबाद	240000	336000	24000	-	2400	-	602400	-	602400
4	जमुई	210000	294000	21000	-	2400	-	527400	-	527400
4	गोपालगंज	210000	294000	21000	-	2400	-	527400	-	527400
	कुल योग	1080000	1512000	108000	0	12000	0	2712000	-	2712000

(सताइस लाख बाहरह हजार) रूपये मात्र

बजट सहायक

प्रशाखा पदाधिकारी

सहायक निदेशक

अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय